भाग 2

राज्य सलाहाकार समिति, स्थापनों का रजिस्ट्रीकरण

अध्याय 3

राज्य सलाहकार समिति

10. **राज्य सलाहाकार समिति का गठन** :–झारखण्ड भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार सलाहकार समिति (जिसे इसमें इसके पश्चात् राज्य सलाहकार समिति कहा गया है) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी –

(क) अध्यक्ष जो राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा ;

(ख) राज्य विधान सभा के दो सदस्य जो राज्य विधान सभा द्वारा निर्वाचित किए जाऐगे–सदस्य ;

(ग) एक सदस्य, जिनका नाम निर्देशन केन्द्रीय सरकार द्वारा किया जायगा –पदेन सदस्य ;

(घ) मुख्य निरीक्षक – पदेन सदस्य ;

(ड.) ग्यारह सदस्य, जिनका नाम निर्देशन राज्य सरकार द्वारा किया जायगा, जिसमें से चार सदस्य नियोजको का प्रतिनिधित्व, चार सदस्य भवन कर्मकारों का प्रतिनिधित्व, एक सदस्य वास्तुविदों या इंजीनियरिंग का प्रतिनिधित्व, एक सदस्य दुर्घटना बीमा संस्था का प्रतिनिधित्व करेगें तथा शेष एक सदस्य के लिये राज्य सरकार द्वारा किसी का भी नाम निर्देशन किया जायगा ।

11. **पदावधि** : – (1) राज्य सलाहकार समिति का अध्यक्ष, राजपत्र में उसकी नियुक्ति अधिसूचित की जाने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा ।

(2) नियम 10 के खण्ड (ख) में निर्दिष्ट प्रत्येक सदस्य, तीन वर्ष के लिए या यथास्थिति, राज्य विधान सभा के सदस्य रहने तक, इसमें जो भी पूर्वतर हो, पद धारण करेगा ।

(3) नियम 10 के खण्ड (ड.) में निर्दिष्ट प्रत्येक सदस्य उस तारीख से प्रारम्भ होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिये इस रूप में पद धारण करेगें, जिसकी उसकी नियुक्ति राज पत्र में अधिसूचित की जाती है ।

(4) यदि कोई सदस्य समिति की किसी बैठक में भाग लेने में असमर्थ है तो राज्य सरकार, ऐसे सदस्य और राज्य सलाहकार समिति के अध्यक्ष को लिखित में सूचना देने के पश्चात् बैठक में

उपस्थित होने के लिए ऐसे सदस्य के प्रतिस्थानी को नामनिर्दिष्ट कर सकेगी और ऐसे प्रतिस्थानी, सदस्य को उक्त बैठक की बावत ऐसे सदस्य के सभी अधिकार और विशेषाधिकार प्राप्त होगे ।

(5) राज्य सलाहकार समिति का प्रत्येक तीन वर्ष के पश्चात् पुनर्गठन किया जाएगा ।

12. **त्याग पत्र** : – (1) राज्य सलाहकार समिति का कोई सदस्य, जो पदेन सदस्य नहीं है, ऐसी समिति के अध्यक्ष को पूर्व जानकारी देकर श्रम सचिव के माध्यम से राज्य सरकार को सम्बोधित लिखित में पत्र देकर अपने पद को त्याग सकेगा ।

(2) ऐसे सदस्य का स्थान उस तारीख से जिसको राज्य सरकार द्वारा त्याग पत्र स्वीकार किया जाता है या उस सरकार द्वारा त्याग पत्र की प्राप्ति की तारीख से तीस दिन के अवसान पर, इसमें जो भी पूर्वतर हो, रिक्त हो जाएगा ।

13. **सदस्यता का समाप्त होना** : – यदि राज्य सलाहकार समिति का कोई सदस्य, जो पदेन सदस्य नहीं है, उक्त समिति के अध्यक्ष से ऐसी अनुपस्थिति के लिए छुट्टी प्राप्त किए बिना उक्त समिति की लगातार तीन बैठकों में उपस्थित रहने में असमर्थ रहता है तो वह उक्त समिति का सदस्य नहीं रह जाएगा :

परन्तु यह कि राज्य सरकार, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि ऐसा सदस्य तीन लगातार बैठको में उपस्थित रहने से पर्याप्त कारण से निवारित किया गया था तो वह निदेश दे सकेगी कि सदस्यता की ऐसी समाप्ति नहीं होगी और ऐसा निदेश दिए जाने पर ऐसा सदस्य उक्त समिति का सदस्य बना रहेगा ।

14. **सदस्यता के लिए निरर्हता** : – (1) कोई व्यक्ति, राज्य सलाहकार समिति का सदस्य होने के लिए निरर्ह होगा –

यदि वह विकृतचित का है और किसी सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित किया गया है

(i) यदि वह अननुमोदित दिवालिया है या

(ii) यदि वह किसी ऐसे अपराध के लिए सिद्वदोष ठहराया गया है जिसमें राज्य सरकार की राय में नैतिक अध्यक्षता अन्तर्वलित है ।

(iii) यदि वह किसी ऐसे अपराध के लिए सिद्वदोष ठहराया गया है जिसमें राज्य सरकार की राय में नैतिक अद्यता अन्तर्वलित है ।

(2) यदि यह प्रश्न उद्भूत होता है कि क्या वह निरर्हता उपनियम (1) के अधीन उपगत की गई है, तो ऐसे प्रश्न का विनिश्चय राज्य सरकार करेगी जिसका निर्णय अंतिम होगा ।

15 **सदस्यता से हटाया जाना** : – राज्य सरकार, राज्य सलाहकार समिति के किसी सदस्य को पद से हटा सकेगी यदि उसकी राय में उक्त सदस्य ऐसे हित का प्रतिनिधि नहीं रह गया है जिसका उसके द्वारा ऐसी समिति में प्रतिनिधित्व करना तात्पर्यित है :

परन्तु ऐसे किसी सदस्य को तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक कि इस नियम के अधीन प्रस्तावित कार्रवाई के विरूद्व अध्यावेदन करने के लिए उसे उचित अवसर न दे दिया गया हो ।

16. **रिक्तियां भरने की रीति** : – जब राज्य सलाहकार समिति की सदस्यता में कोई रिक्ति होती है या रिक्ति होने की संभावना है, तब ऐसी समिति का अध्यक्ष, राज्य सरकार को एक रिर्पोट प्रस्तुत करेगा और ऐसी रिर्पोट की प्राप्ति पर राज्य सरकार, उस प्रवर्ग के व्यक्तियों में से, जिसका कि सदस्यता रिक्त करने वाला व्यक्ति है, नियुक्ति द्वारा रिक्ति भरने के लिए कदम उठाएगी और इस प्रकार नियुक्त व्यक्ति, उस सदस्य की शेष अवधि के लिए पद धारण करेगा जिसके स्थान पर उसकी नियुक्ति की गई है ।

17. **केन्द्रीय सलाहाकर समिति के कर्मचारीवृन्द** : – (1) (i) राज्य सरकार, अपने किसी एक अधिकारी को जो श्रम विभाग के उपश्रमायुक्त की पंक्ति से कम का न होने राज्य सलाहकार समिति के सचिव के रूप में नियुक्त कर सकेगी और ऐसी समिति को उसके कृत्यों को कार्यान्वित करने में समर्थ बनाने के लिए उस सरकार की सेवा में के ऐसे अन्य कर्मचारिवृन्द नियुक्त कर सकेगी, जो वह ठीक समझे ।

(ii) ऐसे कर्मचारिवृन्द को ऐसा वेतन तथा भत्ता संदेय होगा, जिसका विनिश्चय समय समय पर राज्य सरकार द्वारा किया जाए ।

(2) राज्य सलाहाकर समिति का सचिव

(i) समिति की बैठक बुलाने में ऐसी समिति के अध्यक्ष को सहायता करेगा ।

(ii) ऐसी समिति की बैठकों में उपस्थित हो सकेगा किन्तु ऐसी बैठकों में मत देने का हकदार नहीं होगा ।

(iv) ऐसे समिति की बैठकों में लिए गए विनिश्चयों को कार्यान्वित करने के आवश्यक उपाय करेगा ।

18. **सदस्यों के भत्ते** :– (1) राज्य सलाहकार समिति के शासकीय सदस्य का यात्रा–भत्ता पदीय कर्तव्यों के लिए उसके द्वारा की गई यात्रा के संबंध में उसे लागू नियमों द्वारा शासित होगा और उसे वेतन का संदाय करने वाले प्राधिकारी द्वारा संदत्त किया जाएगा ।

(2) राज्य सलाहकार समिति के गैर – शासकीय सदस्य को ऐसी समिति की बैठकों में उपस्थित रहने के लिए यात्रा भत्ते का संदाय ऐसी दर से किया जाएगा जो राज्य सरकार के प्रथम श्रेणी की पंक्ति के अधिकारी को संदेय है और दैनिक भत्ते की संगणना ऐसे पदाधिकारी की अनुज्ञेय अधिकतम दर से की जाएगी ।

19. **कारबार का निपटारा** :– (1) ऐसा प्रत्येक विषय जिस पर विचार करने की राज्य सलाहकार समिति से अपेक्षा है, उस पर उस समिति की बैठक में विचार किया जाएगा या यदि ऐसी समिति का अध्यक्ष ऐसा निदेश दे तो राय के लिए आवश्यक कागज पत्र प्रत्येक सदस्य को भेजे जाएंगे और विषय का निपटारा बहुमत के विनिश्चय के अनुसार किया जाएगा ;

परन्तु यह कि जहां किसी विषय पर बहुमत की कोई राय नहीं है और ऐसी समिति के सदस्य समान रूप से बटे हुए है वहां अध्यक्ष द्वितीयक या निर्णायक मत देगा ।

स्पष्टीकरण – इस विषय के प्रयोजन के लिए "राज्य सलाहकार समिति का अध्यक्ष" पद के अन्तर्गत ऐसी समिति का अध्यक्ष आता है जो बैठक की अध्यक्षता करने के लिए नियम 20 के उपनियम (2) के अधीन नामनिर्दिष्ट या चयनित किया गया है ।

(2) राज्य सलाहकार समिति का कोई कृत्य या कार्यवाही केवल इस कारण से अविधिमान्य नहीं होगी कि समिति के गठन में कोई रिक्ति है या कोई त्रुटि है ।

20. **बैठकें** :– (1) राज्य सलाहकार समिति की बैठक उन स्थानों पर और ऐसे समयों पर होगी, जिसका विनिश्चय ऐसी समिति का अध्यक्ष को और इसकी बैठक छह मास में कम से कम एक दो बार होगी या जब कभी सरकार द्वारा कोई भी विषय परामर्श हेतु निर्देशित की जाय ।

(2) ऐसी समिति का अध्यक्ष समिति की प्रत्येक ऐसी बैठक की अध्यक्षता करेगा जिसमें कि वह उपस्थिति है और उसकी अनुपस्थिति में वह उसके स्थान पर ऐसी बैठक की अध्यक्षता करने के लिए समिति के किसी सदस्य को नामनिर्देशित कर सकेगा और अध्यक्ष द्वारा ऐसे नामनिर्देशन के अभाव में ऐसी बैठक में उपस्थित ऐसी समिति के सदस्य बैठक की अध्यक्षता करने के लिए सदस्यों मे से किसी का चयन कर सकेंगे ।

20. **बैठको की सूचना और कारबार की सूची** : – (1) साधारणतया राज्य सलाहकार समिति के सदस्यों को प्रस्तावित बैठक की दो सप्ताह की सूचना जाएगी ।

परन्तु यह कि ऐसी समिति का अध्यक्ष यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि ऐसा करना समीचीन है तो ऐसी बैठक के लिए दीर्घतर अवधि की सूचना दे सकेगा जो एक मास से अधिक की नहीं होगी ।

(2) सरकार द्वारा निर्देशित कोई भी विषय समिति की कारबार की सूचि में सम्मिलित माना पायगा ।

(3) ऐसी समिति की बैठक के लिए कारबार की सूची में सम्मिलित से भिन्न किसी कारबार पर समिति के अध्यक्ष की अनुज्ञा के बिना ऐसी बैठक में विचार नहीं किया जाएगा ।

22. **गणपूर्ति** :– राज्य सलाहकार समिति की किसी बैठक में किसी कारबार का संव्यवहार तब तक नहीं किया जाएगा जब तक उस बैठक में ऐसी समिति के कम से कम छह सदस्य उपस्थित न हो ।

परन्तु यह कि ऐसी समिति की किसी बैठक में छह सदस्य से कम उपस्थित है तो ऐसी समिति का अध्यक्ष, को अन्य तारीख के लिए बैठक के स्थगन की उपस्थित सदस्यों को जानकारी देते हुए और अन्य सदस्यों को सूचना देते हुए कि वह स्थगित बैठक में कारबार को निपटाने की प्रस्थापना करता है चाहे उसमें विहित गणपूर्ति हो या न हो और उस पर उसके लिए यह विधिपूर्ण होगा कि वह उपस्थित सदस्यों की संख्या को विचार में लिए बिना स्थगित बैठक में कारबार का निपटारा करें ।

अध्याय 4

स्थापनों का रजिस्ट्रीकरण

23. **स्थापनों के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करने की रीति** : – (1) अधिनियम की धारा (7) की उपधारा (1) में निर्दिष्ट आवेदन, इन नियमों से उपाबद्व प्ररूप–1, में तीन प्रतियों में, अधिनियम की धारा (6) के अधीन नियुक्त उस क्षेत्र के रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को अधिनियम की धारा 7 के अन्तर्गत उल्लिखित समय सीमा के अन्तर्गत किया जाएगा, जिसमें कि स्थापन द्वारा भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य किया जाना है ।

(2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट प्रत्येक आवेदन के साथ स्थापन के रजिस्ट्रीकरण के लिए फीस देय होगा ।

(3) उपनियम (1) में निर्दिष्ट प्रत्येक आवेदन या तो रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से किया जाएगा या रजिस्ट्रीकृत डाक से उसे भेजा जाएगा ।

(4) उपनियम (1) में निर्दिष्ट आवेदन की प्राप्ति पर, रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, आवेदन पर उसके द्वारा प्राप्ति की तारीख अंकित करने के पश्चात् आवेदक को उसकी अभिस्वीकृति देगा ।

24. **रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र का दिया जाना** :– (1) रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, नियम 23 को उपनियम (1) के अधीन आवेदन की प्राप्ति के पश्चात् स्थापन को रजिस्टर करेगा और आवेदक का आवेदन की प्राप्ति से पन्द्रह दिन के भीतर यदि आवेदक ने इन नियमों में अधिककथित सभी अपेक्षाओं की पूर्ति कर दी है और ऐसी अवधि के भीतर आवेदन किया है जो अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) के खण्ड (क) और (ख) के अधीन विनिर्दिष्ट है तो रजिस्ट्रीकरण – प्रमाण–पत्र जारी करेगा । रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा दिए जाने वाला रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र इन नियमों से उपाबद्व प्ररूप–2 में होगा ।

(2) रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, इन नियमों से उपाबद्व प्रारूप–3 में रजिस्टर बनाएगा, जिसमें इन स्थापनों की विशिष्टियां दर्शित होंगी, जिनके सम्बन्ध में उसके द्वारा रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र दिया गया है ।

25. **परिस्थितियां जिनमें रजिस्ट्रीकरण के आवेदन को अस्वीकृत किया जा सकता है** :– (1) अगर रजिस्टीकरण के लिये आवेदन सभी प्रकार पूर्ण नहीं हो तो रजिस्ट्रीकरण अधिकारी नियोजक को आवेदन में संशोधन हेतु आदेश करेगा जिससे कि आवेदन सभी तरह पूर्ण हो सके ।

(2) अगर नियोजक, संशोधन के लिये रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी द्वारा आदेश दिये जाने पर भी, आदेश का पालन नहीं करता है तो रजिस्ट्रीकरण अधिकारी रजिस्ट्रीकरण के आवेदन को अस्वीकृत करेगा ।

26. **रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र में संशोधन** :– (1) यदि किसी स्थापना के सम्बन्ध में रजिस्ट्रीकरण के प्रमाण पत्र में विनिर्दिष्ट स्वामित्व या प्रबन्ध या अन्य विशिष्टियों में कोई परिवर्तन होता है तो स्थापना का नियोजक, रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को उस तारीख से तीस दिन के भीतर जिसको ऐसा परिवर्तन होता है, ऐसे परिवर्तन की तारीख व विशिष्टियों की ओर उसके कारणों की सूचना देगा । संशोधन हेतु ऐसे आवेदन, इन नियमों से उपाबद्व प्ररूप 2 क में होगा ।

(2) जहां उपनियम (1) के अधीन सूचना की प्राप्ति पर रजिस्ट्रीकरण अधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि उस रकम से अधिक रकम संदेय है जिसका संदाय स्थापना के रजिस्ट्रीकरण के लिए फीस के रूप में नियोजक द्वारा किया गया है तो वह ऐसे नियोजक से ऐसी अतिरिक्त राशि का संदाय करने की अपेक्षा करेगा जो ऐसे नियाजक के द्वारा पहले से संदत्त रकम को मिलाकार स्थापना के रजिस्ट्रीकरण के लिए संदेय फीस की ऐसी उच्चतर रकम के बराबर होगा ।

(3) जहां उपनियम (1) में निर्दिष्ट सूचना की प्राप्ति पर रजिस्ट्रीकरण अधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि इन नियमों से उपाबद्व प्ररूप –3 में रजिस्टर में यथाप्रविष्ट स्थापना की विशिष्टियों में कोई परिवर्तन कारित किया गया है वहां वह उक्त रजिस्टर और अभिलेख में संशोधन उस परिवर्तन के लिए करेगा जो किया गया है ;

परन्तु यह कि रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, इन नियमों से उपाबद्व प्ररूप–3 में रजिस्टर में कोई संशोधन तब तक नहीं करेगा जब तक कि नियोजक द्वारा समुचित फीस का निक्षेप न कर दिया गया हो ।

27. **रजिस्ट्रीकरण की शर्ते** :– (1) नियम 24 के अधीन जारी किया गया प्रत्येक रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र निम्नलिखित शर्तो के अधीन होगा, अर्थातः–

(क) रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र अहस्तांतरणीय होगा ; अर्थात्

(ख) किसी स्थापना में भवन कर्मकार के रूप में नियोजित कर्मकारों की संख्या किसी भी दिन रजिस्ट्रीकरण के प्रमाण–पत्र में निर्दिष्ट अधिकतम संख्या से अधिक नहीं होगी ; और

(ग) इन नियमों से जैसा उपबन्धित है उसके सिवाय रजिस्ट्रीकरण प्रमाण – पत्र देने के लिए संदत्त फीस अप्रतिदेय होगी ।

(2) नियोजक, पन्द्रह दिन के भीतर रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को कर्मकारों की संख्या या कार्य की शर्तो में किसी परिवर्तन की, यदि कोइ हो, सूचना देगा ।

(3) नियोजक, किसी भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य के प्रारम्भ और पूरा होने से तीन दिन के पहले इन नियमों से उपाबद्व प्ररूप –4 में उस निरीक्षक को लिखित सूचना भेजेगा जिसका उस क्षेत्र पर विचाराधिकार है जहां प्रस्तावित भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य का निष्पादन किया जाना है, जिसमें ऐसे भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य के, यथास्थिति, प्रारंभ या पूरा होने की वास्तविक तारीख की सूचना होगी ।

(4) स्थापन का रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र केवल ऐसे भवन और अन्य सन्निर्माण कार्य के लिए विधिमान्य होगा जो ऐसे स्थापन द्वारा कार्यान्वित किया गया है जिसके लिए उपधारा (3) के अधीन अपेक्षित सूचना दी गई है ।

(5) रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र की एक प्रति परिसरों के ऐसे सहजदृश्य स्थान पर प्रदर्शित की जाएगी जहां भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य कार्यान्वित किया जाना है ।

28. **फीस** :– नियम 24 के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र मंजूर करने के लिए संदेय फीस वह होगी जो नीचे विनिर्दिष्ट है, अर्थात् :

यदि किसी एक दिन में भवन या अन्य सन्निमार्ण काल के लिए भवन कर्मकार के रूप में नियोजित किए जाने के लिए प्रस्तावित कर्मकारों की संख्या –

(क) 50 से कम है : 100.00 रूपए

(ख)	50 से अधिक किन्तु 100 से कम है	:	250.00 रूपए
(ग)	100 से अधिक किन्तु 250 से कम है	:	500.00 रूपए
(घ)	250 से अधिक किन्तु 500 से कम है	:	1000.00 रूपए
(ड.)	500 से अधिक है	:	2000.00 रूपये

अध्याय – 5

अपील, आदेशों की प्रतियां, फीसों का संदाय, आदि

29. **अपील अधिकारी के समक्ष अपील फाइल करना** : – (1) रजिस्ट्रीकरण के आवेदन के अस्वीकृति या प्रतिसंहररा के आदेश के विरूद्व प्रत्येक अपील व्यथित व्यक्ति या उसके प्राधिकृत अधिवक्ता द्वारा हस्ताक्षरित ज्ञापन के रूप में की जाएगी और अपील अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से या रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा उसे भेजकर प्रस्तुत की जाएगी ।

(2) ज्ञापन के साथ उसआदेश की प्रमाणित प्रति जिसके विरूद्व अपील की गई है और एक सौ रूपये देय होगा ।

(3) ज्ञापन में संक्षिप्त रूप से और सुभिन्न मदों के अधीन अपील के आधार उपवर्णित होगें ।

(4) जहां अपील ज्ञापन उपनियम (2) और उपनियम (3) के उपबंधों की अनुपालना नहीं करता है यहां अपीलार्थी को अपील अधिकारी द्वारा नियत किए गए समय के भीतर उस प्रयोजन के संशोधन करने के लिए वापस किया जाएगा जो उस तारीख से जिसको वह आदेश अपीलार्थी को संसूचित किया गया था, जिसके विरूद्व अपील की गई है, तीस दिन से अधिक नहीं होगा ।

(5) जहां अपील ज्ञापन व्यवस्थित है वहां अपील अधिकारी अपील को ग्रहण करेगा, उस पर ऐसे अपील की सुनवाई की तारीख पृष्ठांकित करेगा और इस प्रयोजन के लिए रखे जाने वाली ऐसी पुस्तिका में अपील को रजिस्टर करेगा, जिसका नाम अपीलों का रजिस्टर होगा ।

(6) (i) जब उपनियम (5) के अधीन अपील ग्रहण कर ली जाती है तब अपील अधिकारी, अपील की सूचना उस रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को भेजेगा जिसके आदेश के विरूद्व अपील की गई है और रजिस्ट्रीकरण अधिकारी उस पर मामले का अभिलेख अपील अधिकारी को भेजेगा ।

(ii) अभिलेख प्राप्तहोने पर अपील अधिकारी, ऐसी तारीख और ऐसे समय पर जो अपील की सुनवाई के लिए सूचना पत्र में विनिर्दिष्ट की जाए उसके समक्ष उपस्थित होनेके लिए अपीलार्थी को सूचना भेजेगा ।

30. **सुनवाई की तारीख को उपस्थित होने में असफलता** : – यदि सुनवाई के लिए नियत तारीख को अपीलार्थी उपस्थित नहीं होता है तो अपील अधिकारी, उपस्थित होने में चूक के लिए अपील को खारिज कर सकेगा ।

31. **अपीलों का प्रत्यावर्तन** : – जहां कोई अपील, नियम 29 के अधीन खारिज कर दी जाती है वहां अपीलार्थी, अपील के प्रत्यावर्तन के लिए अपील अधिकारी को आवेदन कर सकेगा और यदि अपील अधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी उपस्थित होने से पर्याप्त कारणों से निवारित किया गया था तो अपील अधिकारी अपील को उसकी मूल संख्या पर प्रत्यावर्तित करेगा :

परन्तु इस नियम के अधीन प्रत्यावर्तन के लिए आवेदन अपील अधिकारी द्वारा ऐसे खारिज किए जाने की तारीख से तीस दिन के पश्चात् ग्रहण नहीं की जाएगी ।

32. **अपील की सुनवाई** :– (1) यदि अपीलार्थी, उस समय उपस्थित है जब अपील सुनवाई के लिए ली जाती है तब अपील अधिकारी, अपीलार्थी या उसके प्राधिकृत अधिवक्ता को सुनने के लिए अग्रसर होगा और अपील पर उस आदेश की जिसके विरूद्व अपील की गई है या तो पुष्टि करने वाला, उलटने वाला या फेरफारित करने वाला आदेश पारित करेगा ।

(2) अपील अधिकारी के आदेश में अवधारण के लिए बिंदु, उस पर विनिश्चय और ऐसे विनिश्चयों के लिए कारण कथित होगें ।

(3) अपीलार्थी को आदेश संसूचित किया जाएगा और उसकी प्रति उस रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को भेजी जाएगी, जिसके आदेश के विरूद्व अपील की गई थी ।

(4) यदि नियोजक के अपील को अपील अधिकारी द्वारा अनुमोदित किया गया है, रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, अगर अपील रजिस्ट्रीकरण अधिकारी का नियम 25 के अर्न्तगत आदेश के विरूद्व था, तत्काल रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र निर्गत करेगा तथा स्थापना को स्थापनों का रजिस्टर में भी रजिस्टर करेगा तथा अगर अपील, अधिनियम की धारा 8 के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के आदेश के विरूद्व था, रजिस्ट्रीकरण अधिकारी नियोजक के रजिस्ट्रीकरण का प्रत्यावर्तन उसके मूल क्रमांक में करेगा तथा इसकी प्रविष्टि स्थापनों का रजिस्टर में करेगा ।

33. **रजिस्ट्रीकरण के आदेश की या अपील के आदेश की प्रति** : -- रजिस्ट्रेशन अधिकरी के या अपील अधिकारी के आदेश को प्रति सम्बन्धित व्यक्ति या उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा प्रत्येक आदेश के लिए पचास रूपए की फीस के संदाय के साथ, यथास्थिति, रजिस्ट्रीकरण अधिकारी या अपील अधिकारी को आवेदन करने पर, जिसमें सम्बन्धित अधिकारी द्वारा किए गए आदेश की तारीख और विशिष्टियां विनिर्दिष्ट होंगी, प्राप्त की जा सकेगी । खो जाने या विकृत हो जाने पर रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र की प्रति वैसी ही फीस के संदाय पर और उसी रीति से प्राप्त की जा सकेगी ।

34. **फीस का संदाय** : – (1) रजिस्ट्रीकरण, अपील, रजिस्ट्रीकरण प्रमाण – पत्र की प्रतियों या दूसरी प्रतियों के प्रदाय के लिए संदेय धन की सभी रकमें, यथास्थिति, रजिस्ट्रीकरण अधिकारी और अपील अधिकारी के पक्ष में निकाले गए और सम्बन्धित रजिस्ट्रीकरण अधिकारी या अपील अधिकारी के मुख्यालय पर, राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट क्रास मांग देय ड्राफ्ट के माध्यम से संदत्त की जाऐंगी । सरकार के निदेशानुसार ऐसे सभी मांग देय ड्राफ्ट चालान के साथ संलग्न होगें जिसमें भुगतान आदि का ब्यौरा होगा । (2) यथास्थिति, रजिस्ट्रीकरण अधिकारी या अपील अधिकारी, उपनियम (1) के अधीन मांग देय ड्राफ्ट की प्राप्ति पर, सुसंगत लेखा शीर्ष के अधीन सरकार द्वारा निदेर्शित समुचित खाते में रकम जमा करने का प्रबंध करेगा ।

भाग –3

सुरक्षा और स्वास्थ्य

अध्याय 6

साधारण उपबन्ध

35. **अत्यधिक शोर, कम्पन आदि** : – नियोजक, किसी भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य के सन्निर्माण स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि अत्यधिक शोर या कम्पन के बुरे प्रभवों से भवन कर्मकारों को सुरक्षा के लिए पर्याप्त उपाय किये गए हैं और ऐसे सन्निर्माण स्थल पर शोर का प्रबलता स्तर किसी भी दशा में इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची 6 में अधिकथित सीमा से अधिक न हो ।

36. **अग्नि से परित्राण** : – नियोजक, किसी भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य के सन्निर्माण स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि –

(क) ऐसे सन्निर्माण स्थल पर निम्नलिखित की व्यवस्था की जाती है –

(i) अग्निशमन उपस्कर जो ऐसे सन्निर्माण स्थल पर किसी सम्भावित अग्नि के शमन के लिए पर्याप्त हों ;

(ii) राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप पर्याप्त दवाब पर पर्याप्त जल का प्रदाय ;

(iii) उपखण्ड (i) के अधीन उपबन्धित अग्निशमन उपस्कर के प्रचालन के लिए अपेक्षित संख्या में प्रशिक्षित व्यक्ति ;

(ख) खण्ड (क) के उपखण्ड (i) के अधीन उपबन्धित अग्निशमन उपस्कर समुचित रूप से रखे जाते हैं और उनका निरीक्षण उत्तरदायी व्यक्ति द्वारा वर्ष मे कम से कम एक बार नियमित अन्तराल पर किया जाता है ओर ऐसे निरीक्षणों का अभिलेख रखा जाता है ;